

झारखंड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।  
कार्यालय आदेश

राँची, दिनांक 20/10/2016

संख्या - 3/वि.उ.-301/2016 का. 258/ राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प ज्ञापांक 5207 दिनांक 14.08.2002 एवं 2981 दिनांक 01.09.2009 के आलोक में झारखंड सचिवालय सेवा के कतिपय पदधारकों को वेतनमान रू० 6500-10500/- प्रतिस्थानी वेतनमान PB - II, रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन रू० 4800/- में प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है, परंतु उनकी संपुष्टि नहीं हो सकी है। इस परिप्रेक्ष्य में जिन कर्मियों की प्रथम वित्तीय उन्नयन की संपुष्टि नहीं हो सकी है, उनके संबंध में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1779 दिनांक 21.05.2014 एवं 2811 दिनांक 04.08.2014 के प्रावधानों के आलोक में स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रथम वित्तीय उन्नयन की री-स्क्रीनिंग की गई। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित अवर सचिवों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से 12 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय उन्नयन को सही पाया गया :-

क्र०	नाम, GPF/PRAN No. एवं पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान (अपुनरीक्षित) रू० 6500-10500 प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतनमान PB - II, रू० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू० 4800)
1	2	3	4
<b>अवर सचिव</b>			
1	श्री शिव कुमार केडिया, उद्योग विभाग DEO/IRR/1600	13.12.1995	13.12.2007
2	श्री राज कुमार मण्डल, अ०ज०जा०, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय PTS/MIR/1837	14.12.1995	14.12.2007
3	श्री विजय कुमार टोप्पो, अ०ज०जा०, राज्यपाल सचिवालय RNC/PAR/46	22.12.1995	22.12.2007
4	श्री राजकिशोर खाखा, अ०ज०जा०, कल्याण विभाग PTS/CAC/297	18.12.1995	18.12.2007
5	श्रीमती आनन्दित बागे, अ०ज०जा०, नगर विकास एवं आवास विभाग (पूर्ववर्ती आवास विभाग) PTS/UDD/215	19.12.1995	19.12.2007
6	सुश्री प्रणीता खलखो, अ०ज०जा०, उद्योग विभाग PTS/LAB/709	29.12.1995	29.12.2007

*De*

प्रशाखा पदाधिकारी			
7	श्री विश्वनाथ सिन्हा, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग BGP/PHED/923	13.12.1995	13.12.2007
8	श्री राजीव कुमार गुप्ता, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग BGP/IRR/2485	12.12.1995	12.12.2007
9	श्री रघुवंश प्रसाद, ऊर्जा विभाग PTS/MIR/1827	13.12.1995	13.12.2007
10	श्री हरेन्द्र किशोर राम, अ0जा0, जल संसाधन विभाग PTS/CDP/115	30.12.1995	30.12.2007

2. उपर्युक्त कंडिका - 1 में अंकित झारखंड सचिवालय सेवा के सदस्यों के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त ACP योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन स्वीकृति के प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 7/वि.उ.-301/2016 का. 258/ राँची, दिनांक 20/10/2016

प्रतिलिपि :- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारियों को आदेश की प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 7/वि.उ.-301/2016 का. 258/ राँची, दिनांक 20/10/2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।  
20/10/16